

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक एफ.4(5)वित्त/बीमा/2020

जयपुर, दिनांक 10.11.2020

आज्ञा


राजस्थान राज्य बीमा एवं भविष्य निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24(ए) के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.10.2020 की अनुशंसा के आधार पर राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित पर्यवेक्षकों का चयन, सहायक निदेशक की वर्ष 2020-21 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर किये जाने के फलरूपरूप उनकी पदोन्नति सहायक निदेशक के पद पर पे-मेट्रिक्स लेवल-14 में स्थानापन्न रूप से की जाती है:

क्र.स.	नाम अधिकारी	वर्ग	पद रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री केदार प्रसाद मीणा	अजजा	01.04.2020	
2.	श्री देवीलाल लुहार		01.04.2020	से.नि. 31.07.2020
3.	श्री चिन्तामणी चर्पोरकर		01.04.2020	से.नि.30.11.2020
4.	श्री प्रमोद कुमार चौहान		01.04.2020	से.नि.30.06.2020
5.	श्री बसन्ता लाल पुत्र श्री मानसिंह	अजा	01.04.2020	से.नि.31.12.2020
6.	श्री सोहनलाल भूपेरिया	अजा	01.04.2020	
7.	श्री सुण्डाराम मीणा	अजजा	01.04.2020	से.नि.31.12.2020

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्य ग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्त सहायक निदेशकों में से सेवारत सहायक निदेशक पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।


श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की वर्ष 2019-20 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टियों पर अंतिम निर्णय नहीं होने के कारण इनके लिए एक पद, जिसकी रिक्ति दिनांक 01.04.2020 है, सुरक्षित रखते हुए पदोन्नति के संबंध में निर्णय आस्थगित रखा गया है।

आज्ञा से

(चंद्र प्रकाश गुप्ता) 10/11/2020
संयुक्त शासन सचिव

कृ.पू.उ.

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके एफ.5(172)डीपीसी 2020-21/375 दिनांक 05.11.2020 के क्रम में।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव 7/10/11/2020